

म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, जैल रोड, भोपाल

भोपाल, दिनांक /7.11.2021

क्रमांक/म.प्र.आत्मनिर्भर/100  
प्रति,

01. संयुक्त संचालक (समस्त),  
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड,  
भोपाल
02. सचिव (समस्त),  
कृषि उपज मण्डी समिति,  
.....जिला.....


विषय :- आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के रोडमेप के निर्देश हिन्दी भाषा में प्रचार-प्रसार करने के संबंध में।

आत्मनिर्भर रोड मेप के बिन्दू क्रमांक 08 में म.प्र. शासन ने निर्देश दिए हैं कि समस्त विभागों की योजनाएं हिन्दी भाषा में होनी चाहिए, ताकि हितग्राही और सभी को सरलता से समझ आ सके।

अतः कृषि उपज मंडी समिति में समस्त दिशा निर्देश सूचनाएं, दिशा सूचक होर्डिंग इत्यादि हिन्दी भाषा में लगाए जाए तथा उसके छायाचित्र सहित आंचलिक कार्यालय के माध्यम से प्रेषित किए जाए।

02. मंडियों में एक ही जगह पर किसान को खाद, बीज एवं दवाईयां उच्च गुणवत्ता की सही कीमत पर एक ही जगह पर उपलब्ध हो, इस हेतु क्या कार्य किए जाने चाहिए।

कृषि उपज मंडी समिति में उक्त अनुसार व्यवस्था किस प्रकार से की जा सकती है, के संबंध में अविलम्ब सभी हितधारकों से प्राप्त कर उपयुक्त सुझाव कियान्वयन योग्य विचार दिनांक 30.11.2021 तक अवगत कराए जाए।


  
(विकास नरवाल)

आयुक्त सह प्रबंध संचालक  
मध्यप्रदेश.राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
भोपाल

क्रमांक/म.प्र.आत्मनिर्भर/101  
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 17 .11.2021

01. अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग।
02. अपर संचालक, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
03. संयुक्त संचालक म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
04. उप संचालक(प्रांगण/आत्मनिर्भर), म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल की आवश्यक कार्यवाही कर लेख है कि इस संबंध में फॉलोअप कर कार्य योजना तैयार कर प्रस्तुत करें।

  
आयुक्त सह प्रबंध संचालक  
मध्यप्रदेश.राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
भोपाल